भारतीय दण्ड संहिता, 1973 (1974 का एक्ट न0 2)

आदेश

प्रायः देखने में आया है कि जिला कैथल में कई अवसरो पर लाऊड स्पीकर आदि का प्रयोग बिना अनुमति देर रात तक किया जाता है। शहरों, कस्बों के बाजारों, धार्मिक स्थलों, शादी समारोह, जागरण आदि में ऊंची आवाज में लाऊड स्पीकर/डी0जे0 आदि बजाए जा रहे है। इसके अतिरिक्त म्यूजिक की दुकानों में भी ऊंची आवाज में संगीत चलाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों, मरीजों तथा आम जनता को परेशानी होती है।

पंजाब इंस्टूमैंट (कंट्रोल आफ नाएसिज) एक्ट, 1956 की धारा 3 व 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, डी0जे0 आदि का प्रयोग नहीं कर सकता। वह सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करके निर्धारित आवाज में दी गई समय सीमा में ही लाऊड स्पीकर बजा सकता है। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच किसी भी सूरत में लाऊड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त स्थिति में जनहित को ध्यान में रखते हुए मैं, **सुनीता वर्मा, भा0प्र0से0, जिलाधीश कैथल** भारतीय दंड संहिता 1973 (1974 का एक्ट न0 2) की धारा 144 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कैथल की सीमाओं के अन्दर पंजाब इंस्टूमैंट (कंट्रोल आफ नाएसिज) एक्ट, 1956 की धारा 3 व 4 की पालना हेतू आदेश पारित करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, संस्था सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऊंची आवाज में लाऊड स्पीकर/डी0जे0 वगैरा यन्त्रों को न बजाए और रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाऊड स्पीकर/डी0जे0 आदि का प्रयोग किसी भी सूरत में न करे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति को छः मास तक की कैद व 1000/– रूपए जुर्माना व दोनों हो सकते है। यह आदेश मामले की तत्परता व आवश्यकता को सम्मुख रखते हुए एक तरफा पास किया जाता है तथा आम जनता को सम्बोधित किया जाता है। यह आदेश दिनांक 19–11–.2017 तक लागू रहेंगे।

इन आदेशों का प्रचार जिला लोक सम्पर्क अधिकारी तथा कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद कैथल द्वारा मुनादी करवाकर व कार्यालयों/अदालतों तथा उपमण्डल मैजिस्ट्रेंट/तहसील/सब–तहसील कार्यालयों के नोटिस बोर्डो तथा शहर के मुख्य स्थानों पर नोटिस चस्पा किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की पालना स्थानीय पुलिस व स्थानीय निकाय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा अदालत की मोहर सहित जारी किया गया।

DISTRICT MAGISTRATE KAITHAL

जिलाधीश, कैथल।

पृ0 क्रमांक 8407–50/एम0ए0 दिनांक 22-9-2017

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह/राजस्व विभाग, चण्डीगढ।
3. आयुक्त, करनाल मण्डल, करनाल।
4. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
5. महानिरीक्षक पुलिस, करनाल मण्डल, करनाल।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल।
7. राज्य के सभी उपायुक्त।
8. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
9. पुलिस अधीक्षक, कैथल।
10. उपमण्डल अधिकारी (ना0), कैथल/गुहला।
11. जिला राजस्व अधिकारी, कैथल।
12. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
13. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
14. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, कैथल।
15. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, कैथल।
16. सचिव, नगरपालिका, चीका/पूण्डरी/कलायत।
17. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
18. आशुलिपिक/उपायुक्त।
19. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कैथल को भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त आदेशों को जिला कैथल की वैबसाईट पर अप–लोड करने का कष्ट करें।

जिलाधीश, कैथल।